

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.क्रमांक-1146/2014

संस्थित दिनांक-27.11.2014

फाई. क्र.234503009612014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — **अभियोजन**// **विरुद्ध** //

रामदयाल पन्ने पिता चमरू पन्ने, उम्र-53
 गढ़ी थाना गढ़ी जिला बालाघाट।

— — — — **आरोपी**// **निर्णय** //**(दिनांक 16/11/2017 को घोषित)**

01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 26.03.2014 को समय दिन करीब 01:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम परसाटोला गढ़ी में रंजीत बैस के घर के सामने आहत गोकुल यादव को लोहे की टंगिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया।

02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 26.03.14 को घटनास्थल पर प्रार्थी आहत, गवाह एवं आरोपी साथ बैठकर शराब का सेवन कर रहे थे, आहत गोकुल एवं आरोपी रामदयाल के बीच पहलवानी होने पर आरोपी ने गोकुल को पहले हाथ-लात से मारा फिर सिर पर टंगिया से चोट पहुंचाया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आहत गोकुल की चोटों का मुलाहिजा करवाया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, घटनास्थल का मौका-नक्शा, जप्ती पत्रक तैयार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोज पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— अभियुक्त ने निर्णय के चरण क्रमांक 01 में वर्णित आरोप को अस्वीकार किया है।

04— प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:-

01. क्या आरोपी ने घटना दिनांक 26.03.2014 को समय दिन करीब 01:00 बजे, थाना गढ़ी अंतर्गत ग्राम परसाटोला गढ़ी में रंजीत बैस के घर के सामने

आहत गोकुल यादव को लोहे की टंगिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

—:विवेचना एवं निष्कर्ष :-

05— साक्षी गोकुल अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना कुछ वर्ष पूर्व होली के त्यौहार के समय ग्राम परसाटोला की है। घटना के समय वह, प्रीतम, दशरथ और आरोपी रामदयाल के साथ बैठकर त्यौहार का खाना-पीना कर रहा था, उसी दौरान उसका रामदयाल के साथ वाद-विवाद हो गया था। बाद में उसने प्रीतम के साथ जाकर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस को उसने घटनास्थल नहीं बताया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही उसे गिरफ्तार किया था।

06— साक्षी गोकुल अ.सा.01 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना के समय बहस-बाजी ज्यादा बढ़ने पर आरोपी रामदयाल ने उसे हाथ एवं लातों से मारकर टंगिया उठाकर सिर पर मारा था, जिससे चोट लगकर खून बहने लगा था, वह बेहोश सा हो गया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.01 पुलिस न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था तथा मौका-नक्शा प्र.पी.02 पर उसके अंगुठा निशानी है, उसके समक्ष आरोपी रामदयाल के पेश करने पर एक लोहे की टंगिया जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.03 पर उसके अंगुठा निशानी है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर उसके अंगुठा निशानी है, उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह आज न्यायालय में असत्य कथन कर रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसका रिश्तेदार लगता है, घटना के समय होली के त्यौहार के समय खाने-पीने को लेकर उसका आरोपी से वाद-विवाद हो गया था, उसने पुलिस को मौखिक वाद-विवाद की बात बताई थी, आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की थी।

07— साक्षी प्रीतम अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। घटना कुछ वर्ष पूर्व होली के त्यौहार के समय ग्राम परसाटोला की है। घटना के समय वह, गोकुल, दशरथ और आरोपी रामदयाल के साथ बैठकर त्यौहार का खाना-पीना कर रहा था, तभी उसके भाई गोकुल का आरोपी

रामदयाल के साथ वाद-विवाद हो गया था। बाद में उसने गोकुल के साथ जाकर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो प्र.पी.05 है, जिस पर उसकी अंगुठा निशानी है। पुलिस को उसने घटनास्थल नहीं बताया था। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही उसे गिरफ्तार किया था।

08— साक्षी प्रीतम अ.सा.02 से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि घटना के समय बहस-बाजी ज्यादा बढ़ने पर आरोपी रामदयाल ने उसके भाई गोकुल को हाथ एवं लातों से मारकर टंगिया उठाकर सिर पर मारा था, जिससे चोट लगकर खून बहने लगा था तथा उसने एवं दशरथ ने बीच-बचाव किया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी. 06 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसकी निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया था तथा मौका-नक्शा प्र.पी.02 पर उसके अंगुठा निशानी है, उसके समक्ष आरोपी रामदयाल के पेश करने पर एक लोहे की टंगिया जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था तथा जप्ती पत्रक प्र.पी.03 पर उसके अंगुठा निशानी है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया था तथा गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 पर उसके अंगुठा निशानी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी उसका रिश्तेदार है, घटना के समय होली के त्यौहार के समय खाने-पीने को लेकर उसके भाई गोकुल का आरोपी से वाद-विवाद हो गया था, उसने पुलिस को मौखिक वाद-विवाद की बात बताई थी, आरोपी ने उसके भाई गोकुल के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की थी, वह पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस ने उन लोगों से गढ़ी थाने में कागजों पर अंगुठा निशानी लगवाया था, कागजों पर क्या लिखा था पुलिस ने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया था।

09— साक्षी दिनेश पॉल अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह दिनांक 26. 03.2014 को थाना गढ़ी में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को प्रार्थी प्रीतम की सूचना पर उसके द्वारा अज्ञात जंगल विभाग के आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 26/14 अंतर्गत धारा-323, 324 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 लेखबद्ध की गई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रार्थी प्रीतम के अंगुठा निशानी है। उसके द्वारा दिनांक 29.05.2014 को घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी प्रीतम एवं गवाह गोकुल की निशादेही पर घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 बनाया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा आरोपी

रामदयाल द्वारा पेश करने पर प्रार्थी प्रीतम तथा गवाह गोकुल के समक्ष एक लोहे की टंगिया बांस का बेसा लगी हुई जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा उपरोक्त गवाहों के समक्ष आरोपी रामदयाल को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं एवं बी से बी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी प्रीतम, गवाह गोकुल तथा दशरथ के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

10— साक्षी दिनेश पॉल अ.सा.03 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.05 अपने मन से लेखबद्ध की थी और प्रार्थी के अंगुठा निशान लगवा लिये थे, उसने मौका-नक्शा प्र.पी.02 प्रार्थी के बताये अनुसार घटनास्थल न जाकर थाने में बैठकर तैयार किया था, उसने गवाहों के समक्ष आरोपी से किसी प्रकार की जप्ती नहीं की थी और ना ही उसे गिरफ्तार किया था, उसने संपूर्ण दस्तावेज अपने मन से तैयार कर गवाहों के अनपढ़ होने के कारण उनके अंगुठा निशान लिये थे और उन्हें पढ़कर नहीं बताया था, उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिये थे। यदि प्रार्थी और गवाह गोकुल द्वारा पुलिस को बयान न देना व्यक्त किया गया हो तो वह गलत है, जिसका वह कारण नहीं बता सकता।

11— उपरोक्त विवेचना से यह दर्शित है कि स्वयं फरियादी गोकुल अ.सा.01 ने अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसका आरोपी से वाद-विवाद हो गया था, उसने पुलिस को मौखिक वाद-विवाद की बात बताई थी, आरोपी ने उसके साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की थी। वर्तमान में उसका आरोपी से राजीनामा हो गया है और वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहता है। प्रकरण में विवेचक साक्षी के अतिरिक्त अन्य चक्षुदर्शी साक्षी प्रीतम अ.सा.02 ने भी अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके भाई गोकुल का आरोपी से वाद-विवाद हो गया था, उसने पुलिस को मौखिक वाद-विवाद की बात बताई थी, आरोपी ने उसके भाई गोकुल के साथ किसी प्रकार की मारपीट नहीं की थी, वह पढ़ा लिखा नहीं है, पुलिस ने उन लोगों से गद्दी थाने में कागजों पर अंगुठा निशानी लगवाया था, कागजों पर क्या लिखा था पुलिस ने उन्हें पढ़कर नहीं सुनाया था। ऐसी स्थिति में साक्ष्य के पूर्ण अभाव में मात्र विवेचक साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक,

समय व स्थान पर आहत गोकुल यादव को लोहे की टंगिया से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-324 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

13- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे की टंगिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश के पालन किया जावे।

14- प्रकरण में अभियुक्त अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा है। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे बोलने पर टंकित किया।
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सही / -

(अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)